सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)
जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 • G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075
दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200

भाराराप्रा / नीति दिशानिर्देश / विविध / 2026
नीति परिपत्र सं. 9.5.4 /2026 दिनांक 02nd नवंबर, 2026
{(ई-ऑफिस फाइल स. SRD-TI-11/1/2026-SRD-TI (कम्प्युटर सं. 330097 पर लिया गया निर्णय)}

NHAI/Policy Guidelines/ Miscellaneous /2026
Policy Circular No. 9.5.4 /2026 dated 02nd November, 2026
{(Decision taken on E-Office File No. SRD-TI-11/1/2026-SRD-TI (Comp No. 330097)}

विषय: राष्ट्रीय राजमार्गों पर मौजूदा फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) के संवर्धन, अनुरक्षण, विघटन और मरम्मत के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के संबंध में।

Sub.: Standard Operating Procedure (SOP) for Augmentation, Retention, Dismantling and Maintenance of existing Foot Over Bridges (FOBs) on National Highways - reg:

नीति परिपत्र संख्या 1.1.27 दिनांक 20.03.2018 और नीति परिपत्र संख्या 1.1.33/2022 दिनांक 25.04.2022 (एफओबी के प्रावधान के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन) के क्रम में राष्ट्रीय राजमार्गों पर एफओबी के लिए निम्नलिखित मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाती है। सभी एफओबी को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाएगा: (क) सिर्फ स्टेयर ; (ख) स्टेयर और रैंप; (ग) सिर्फ रैंप; (घ) स्टेयर और एस्केलेटर/लिफ्ट; और (ङ) एफओबी के साथ लाइट मोटर वाहन (एलएमवी) की पहुंच ।

In continuation of Policy Circular No. 1.1.27 dated 20.03.2018 and Policy Circular No. 1.1.33/2022 dated 25.04.2022 (Delegation of Powers for provision of FOBs), the following SOP is issued for FOBs on National Highways. All FOBs shall be classified as: (a) Stair only; (b) Stair plus Ramp; (c) Ramp only; (d) Stair plus Escalator/Lift; and (e) FOB with Light Motor Vehicle (LMV) access.

2. किसी भी एफओबी को तब तक बढ़ाया, बरकरार रखा या हटाया नहीं जाएगा जब तक कि आरओ/पीडी निम्नलिखित को कवर करते हुए एक तकनीकी मूल्यांकन पूरा करके रिकॉर्ड में दर्ज न कर दे: (क) संरचनात्मक स्थिति; (ख) कम से कम सात लगातार दिनों तक वर्गीकृत पैदल यात्री गणना के माध्यम से वास्तविक सार्वजनिक उपयोग; (ग) एलएमवी एक्सेस/रैंप/लिफ्ट/एस्केलेटर, आरओडब्ल्यू के भीतर भूमि, उपयोगिता स्थानांतरण, बिजली आपूर्ति को जोड़ने की व्यवहार्यता; और (घ) स्थानीय निवासियों/प्रतिनिधियों, जिला सड़क सुरक्षा समिति/प्रशासन और क्षेत्राधिकार वाले संसद सदस्य के साथ दस्तावेजित परामर्श।

No FOB shall be augmented, retained or dismantled until the RO/PD completes and places on record a Technical Assessment covering: (a) structural condition (b) Actual Public Utilisation, through a classified pedestrian count over not less than seven continuous days; (c) feasibility of adding a LMV Access/ ramp/lift/escalator, land within RoW, utility shifting, power supply; and (d) documented consultation with local inhabitants/representatives, the District Road Safety Committee/Administration and the jurisdictional Member of Parliament.

3. अनुच्छेद 2 में किए गए मूल्यांकन के आधार पर–
On the basis of the assessment at para 2

(A). उपयोग में आने वाले या आवश्यक प्रत्येक "सिर्फ स्टेयर वाले" एफओबी को एलएमवी एक्सेस/रैंप और/या लिफ्ट/एस्केलेटर से सुसज्जित किया जाएगा (या उसकी स्टेयर को रैंप से प्रतिस्थापित किया जाएगा)।
Every "Stair only" FOB that is in use or required shall be augmented with a LMV access/ ramp and/or lift/escalator (or its stairs replaced with a ramp).

Contd.....2/-

(B). 'केवल स्टेयरों वाले' एफओबी को उनके वर्तमान स्वरूप में केवल तभी बनाए रखा जा सकता है, जब वे उपयोग में हों और संरचनात्मक रूप से सुरक्षित हों। लेकिन, यदि साइट की स्थितियों या बहुत कम उपयोग के कारण उनमें सुधार या विस्तार करना तकनीकी रूप से संभव न हो, तो सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से उन्हें बनाए रखा जा सकता है, बशर्ते प्रत्येक वर्ष उनकी समीक्षा की जाए।
A "Stair only" FOB may be retained in its present form only where it is in use and structurally safe but augmentation is technically not feasible owing to recorded site conditions or usage is minimal, with the approval of the Competent Authority and subjected to annual review.

(C). विघटन: एक "सिर्फ स्टेयर" एफओबी को केवल तभी विघटित किया जाएगा जब वह अपने वर्तमान स्वरूप में अनुपयोगी हो और उसे बढ़ाया न जा सके तथा पैरा 2(डी) में परामर्श के बाद उपयोग के लिए आवश्यक न पाया जाए।
Dismantling: a "Stair only" FOB shall be dismantled only where it is unusable in its present form *and* cannot be augmented *and* is found not required for use following the consultation at para 2(d).

4. निर्माणाधीन एफओबी के लिए: आरओ/पीडी को सभी निर्माणाधीन "केवल स्टेयर वाले" एफओबी की समीक्षा तुरंत करनी चाहिए ताकि सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एलएमवी एक्सेस/रैंप और/या एस्कलेटर/लिफ्ट जोड़ने की व्यवहार्यता का आकलन किया जा सके। जहां संभव हो, इन सुविधाओं को शामिल करने के लिए चल रहे कार्य को बढ़ाया जाना चाहिए (उदाहरण के लिए, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन या पूरक अनुमान के माध्यम से)। यदि साइट-विशिष्ट बाधाओं (जैसा कि पिछले पैराग्राफ 2(सी) में विस्तार से बताया गया है) के कारण ऐसा विस्तार तकनीकी रूप से संभव नहीं पाया जाता है, तो अपवाद स्वरूप एफओबी को "सिर्फ स्टेयर के रूप में" के रूप में पूरा किया जा सकता है। इसके लिए लिखित तकनीकी औचित्य और सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

For FOBs currently under construction: The RO/PD shall immediately review all ongoing constructions of "Stair only" FOBs to assess the feasibility of adding a LMV Access/ramp and/or escalator/lift to ensure universal accessibility. Where feasible, the ongoing work shall be augmented to include these facilities (e.g., through a Change of Scope or supplementary estimate). Where such augmentation is established to be technically not feasible on account of site-specific constraints (as detailed in preceding Para 2(c)), the FOB may be completed as "Stair only" as an exception. This shall require recorded technical justification and the prior approval of the Competent Authority

5. एलएमवी के साथ एफओबी: शहरी क्षेत्रों में जहां राष्ट्रीय राजमार्ग के पार लाइट मोटर वाहनों (एलएमवी) की कनेक्टिविटी की आवश्यकता दर्ज की गई है, और जहां यातायात/लागत के आधार पर वाहन अंडरपास/फ्लाईओवर व्यवहार्य या उचित नहीं पाया जाता है, वहां एक एफओबी प्रदान किया जा सकता है, जिसमें अतिरिक्त रूप से क्लास ए लोडिंग, एलएमवी आवागमन के लिए 2 लेन के कैरिजवे/रैंप को डिजाइन किया गया हो, बशर्ते: (क) ऐसा एफओबी स्थानीय यातायात पैटर्न, कनेक्टिविटी आवश्यकता और साइट आरओडब्लू के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के एलएचएस या आरएचएस स्थित "सी-प्रकार" विन्यास में या राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के एलएचएस और आरएचएस ओर स्थित "एक्स-प्रकार" विन्यास में प्रदान किया जाएगा; (ख) एलएमवी कैरिजवे/रैंप की स्पष्ट चौड़ाई 5.5 मीटर से कम नहीं होगी; (ग) रैंप/पहुंच ढलान 1 में 25 से अधिक नहीं होगी; रैंप एक वायडक्ट होगा जिसकी रिटेनिंग/टो वॉल की ऊंचाई 2.5 मीटर तक सीमित होगी। (घ) पैदल यात्रियों के आवागमन के लिए कम से कम 3.0 मीटर चौड़ाई का एक फुटपाथ उपलब्ध कराया जाएगा, जो दुर्घटनारोधी अवरोध और रेलिंग द्वारा निम्न-स्तरीय वाहन मार्ग/रैंप से भौतिक रूप से अलग होगा, और संरचना के दोनों सिरों पर स्वतंत्र स्टेयर की सुविधा होगी; (ङ) एलएमवी कनेक्टिविटी की आवश्यकता, वीयूपी/फ्लाईओवर की अव्यवहार्यता और आरओडब्ल्यू/ज्यामितीय उपयुक्तता को कवर करते हुए आरओ/पीडी द्वारा लिखित तकनीकी औचित्य और संबंधित सदस्य की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी; और (च) पैरा 8 में उल्लिखित संचालन एवं अनुरक्षण आवश्यकताएं लागू होंगी, साथ ही भारी वाहनों के उपयोग को रोकने के लिए अतिरिक्त साइनेज, गति प्रतिबंध और ऊंचाई अवरोध के माध्यम से पहुंच नियंत्रण भी लागू होगा। किसी भी अपवाद के लिए सक्षम प्राधिकारी/संबंधित सदस्य का अनुमोदन आवश्यक है।

Contd....3/-

FOB with LMV access: At Urban locations having a recorded need for Light Motor Vehicle (LMV) connectivity across the NH, where a Vehicular Underpass/flyover is not found feasible or warranted on traffic/cost grounds, a FOB with its carriageway/ramp additionally designed to 2 lane of Class A loading, LMV movement may be provided, subject to: (a) such FOB shall be provided in "C-type" configuration, sited at LHS or RHS of NH Section, or "X-type" configuration, sited at LHS & RHS of NH section, depending on the local traffic pattern, connectivity requirement and site RoW; (b) the LMV carriageway/ramp shall not be less than 5.5 m clear width (c) the ramp/approach gradient shall not exceed 1 in 25; Ramp shall be viaduct with height of Retaining/Toe wall restricted to 2.5m. (d) a footpath of minimum width 3.0 m, physically segregated from the LMV carriageway/ramp by an anti-crash barrier and railing, shall be provided for pedestrian movement, with independent staircase access at both ends of the structure; (e) recorded technical justification by the RO/PD covering the LMV connectivity need, VUP/flyover non-feasibility, and RoW/geometric suitability; and prior approval of the concerned Member shall be required; and (f) O&M requirements at para 8 shall apply, with additional signage, speed restriction and access control through Height barrier to prevent use by heavy vehicles. Any exception requires approval of the Competent Authority/ Concerned Member.

डिजाइन सेल दवारा जारी किए गए 6 रेखाचित्र (प्रति संलग्न) सांकेतिक हैं और मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि सर्विस रोड कनेक्टिविटी और आस-पास की संपत्तियों तक पहुंच अनावश्यक रूप से बाधित न हो और पैदल यात्रियों की पहुंच सुगम और सुरक्षित बनी रहे, ब्राउनफील्ड राजमार्गों पर एलएमवी पहुंच वाले एलिवेटेड यू-टर्न/एफओबी के लिए साइट-विशिष्ट लेआउट विकसित किए जा सकते हैं । वैकल्पिक लेआउट–जैसे कि एलिवेटेड रैंप को मुख्य कैरिजवे और सर्विस रोड के बीच स्थापित करना–पर उपयुक्त टर्निंग ज्योमेट्री, चौड़ाई, क्रैश बैरियर, साइनेज, एक्सेस कंट्रोल और सुरक्षा प्रावधानों के साथ विचार किया जा सकता है।

The 6 nos. drawings issued by design cell (copy enclosed) are indicative & serves as guiding principles. Site-specific layouts may be developed for LMV-access elevated U-turns/FOBs on brownfield highways, ensuring service-road connectivity and access to adjoining properties are not unreasonably obstructed and pedestrian access remains independent and safe. Alternative layouts—such as locating the elevated ramp between the main carriageway and service road—may be examined where feasible, with suitable turning geometry, widening, crash barriers, signage, access control and safety provisions.

6. जहां विस्तार/नया निर्माण व्यवहार्य पाया जाता है, वहां पीडी लागू दर अनुसूची के अनुसार अनुमान तैयार करेगा, और आरओ को नीचे दी गई सीमाओं के भीतर अतिरिक्त लागतें स्वीकृत करने का अधिकार है (नीति परिपत्र संख्या 1.1.33/2022 के अनुसार 4/6 लेन रैंप के लिए भी यही लागू होता है):

Where augmentation/ new construction is found feasible, the PD shall prepare the estimate as per the applicable Schedule of Rates, and the RO is empowered to sanction the additional cost within the limits below (Same for 4/6 lane Ramps as per Policy Circular No. 1.1.33/2022):

चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर (करोड़ रुपये में) Across 4-lane NH (Rs. in Cr.)				*6 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर (करोड़ रुपये में) Across 6-lane NH (Rs. in Cr.)*			
रैंप के साथ *With Ramps*	*रैंप और लिफ्ट/एस्केलेटर के साथ With Ramp & Lifts/Escalator*	एलएमवी के साथ With LMV		*रैंप के साथ With Ramps*	*रैंप और लिफ्ट/एस्केलेटर के साथ With Ramp & Lifts/escalator*	एलएमवी के साथ With LMV	
		सी प्रकार C Type	एक्स टाइप X Type			सी प्रकार C Type	एक्स टाइप X Type
2.00	2.25	11	21	2.50	2.75	12	22
		इन लागतों में प्रचालन और अनुरक्षण के खर्च शामिल नहीं हैं। These costs do not cover O&M expenses.					

Contd....4/-

7. पैरा 3(सी) में उल्लिखित पूर्व शर्तों की पूर्ति और एसओआर के अनुसार अनुमान की स्वीकृति/अनुमोदन होने पर, आरओ विघटन से पहले और विघटन के दौरान संरचना का सटीक माप और वीडियोग्राफी सुनिश्चित करेगा। विघटित की गई संपूर्ण सामग्री/स्क्रैप का बचाव मूल्य एई/आईई द्वारा एसओआर दरों पर आंका जाएगा और विघटन एजेंसी के अनुमान में समायोजित किया जाएगा; एजेंसी सामग्री को अपने पास रखेगी और उसका निपटान करेगी। कार्यों में पुनः उपयोग की गई किसी भी बचाव सामग्री को अनुमान में शामिल किया जाएगा और उस पर नई सामग्री की दरें नहीं लगाई जाएंगी। एई/आईई द्वारा विधिवत प्रमाणित बचाव मूल्य का आकलन और वसूली होने तक एजेंसी को कोई अंतिम भुगतान जारी नहीं किया जाएगा।

On satisfaction of the pre-conditions at para 3(c) and sanction/approval of estimate as per the SoR, the RO shall ensure precise measurement and videography of the structure before and during dismantling. The salvage value of the entire dismantled material/scrap shall be assessed by AE/IE at SoR rates and shall be adjusted in the estimate for dismantling agency; & the agency retains and disposes of the material. Any salvaged material reused in the works shall be credited in the estimate and not billed at new-material rates. No final payment shall be released to the agency until the salvage value has been so assessed and recovered, duly certified by the AE/IE.

8. प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) कार्य एफओबी निर्माण एजेंसी/ओएंडएम एजेंसी द्वारा किया जाएगा और वे एस्केलेटर और लिफ्टों को चालू रखने के लिए आवश्यक जनशक्ति, जेनरेटर/पावर बैकअप और निर्बाध बिजली की व्यवस्था करेंगे। लिफ्टों और एस्केलेटरों का प्रतिदिन निरीक्षण किया जाएगा; सीढ़ियों, रैंपों और लैंडिंग को मलबे, वनस्पति और अतिक्रमण से मुक्त रखा जाएगा; रात्रि प्रकाश व्यवस्था कम से कम 40 लक्स पर बनाए रखी जाएगी और इसमें किसी भी प्रकार की कमी स्वीकार्य नहीं होगी; और संरचनात्मक निरीक्षण वर्ष में दो बार (मानसून से पहले और बाद में) किया जाएगा। एफओबी लैंडिंग क्षेत्रों को साफ रखा जाएगा और पैदल यात्रियों को चालू लेन पार किए बिना सार्वजनिक परिवहन स्टॉप से कनेक्टिविटी बनाए रखी जाएगी।

O&M shall be done by the FOB constructing agency/ O & M agency and they shall provide for the manpower, generator/power backup and uninterrupted electricity needed to keep escalators and lifts operational. Lifts and escalators shall be inspected daily; stairs, ramps and landings kept clear of debris, vegetation and encroachment; night-time illumination maintained at not less than 40 lux with zero tolerance for failure; and structural inspection carried out bi-annually (pre- and post-monsoon). FOB landing areas shall be kept clear and connectivity to public-transport stops maintained without pedestrians crossing live lanes.

9. एस्केलेटर/लिफ्ट से लैस सभी एफओबी को स्थानीय नगरपालिका/प्राधिकरणों को सौंपने का प्रयास किया जाएगा। स्थानीय प्राधिकरणों से अनुरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन प्राप्त होने के बाद ही ऐसे सभी नए एफओबी का कार्यभार संभाला जा सकता है। किसी भी अपवाद की अनुमति संबंधित सदस्य के अनुमोदन के बाद ही दी जाएगी।

Efforts will be made to handover all FOBs with Escalator/Lift to local Municipality/ Authorities. All such New FOBs may be taken up after MOU from Local Authorities for their Maintenance. Any exception should be allowed only after approval from Member Concerned.

10. यदि संचालन एवं अनुरक्षण अवधि के दौरान कोई संरचनात्मक खराबी या गंभीर क्षति होती है, तो साइट को तुरंत बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया जाएगा और घटना की सूचना पीडी और आरओ के माध्यम से मुख्यालय को दिनांक 28.08.2020 के नीति परिपत्र संख्या 18.51 के अनुसार दी जाएगी। अनुरक्षण में चूक के कारण होने वाली घातक दुर्घटनाओं या खराबी के लिए जिम्मेदार आईई/एई/संविदाकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

In the event of any structural failure or severe damage during the O&M period, the site shall be immediately barricaded and the incident reported through the PD and RO to Headquarters, in accordance with Policy Circular No. 18.51 dated 28.08.2020. Fatal accidents or failures arising from maintenance lapses shall attract strict action against the responsible IE/AE/Contractor.

Contd....5/-

11. सभी नए आरएफपी/डीपीआर में सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक एफओबी पर नियमानुसार एक एलएमवी एक्सेस/रैंप और/या एस्केलेटर/लिफ्ट उपलब्ध कराई जाएगी। सिर्फ तभी जब साइट-विशिष्ट बाधाओं (जैसे कि राइट ऑफ वे के भीतर भूमि की अनुपलब्धता, अनसुलझे उपयोगिता विवाद या क्लीयरेंस सीमाएं) के कारण एलएमवी एक्सेस/रैंप, एस्केलेटर या लिफ्ट का प्रावधान तकनीकी रूप से संभव न हो, तो अपवाद स्वरूप "सिर्फ स्टेयर" एफओबी प्रदान किया जा सकता है, जिसके लिए लिखित तकनीकी औचित्य और सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगी और जहां भी लागू कानून के तहत आवश्यक हो, एक वैकल्पिक सुलभ क्रॉसिंग सुनिश्चित की जाएगी।

In all new RFPs/DPRs, every FOB shall, as a rule, be provided with a LMV Access/ramp and/or escalator/lift to ensure universal accessibility. Only where the provision of a LMV Access/ramp, escalator or lift is established to be technically not feasible on account of site-specific constraints (such as non-availability of land within the Right of Way, unresolvable utility conflicts or clearance limitations), a "Stair only" FOB may be provided as an exception, with recorded technical justification and the prior approval of the Competent Authority, and with an alternative accessible crossing ensured wherever required under the applicable law.

12. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.

02/11/2026

(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक(समन्वय) (i/c) Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भाराराप्रा मुख्यालय/आरओ/पीआईयू/सीएमयू/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी।
All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।
Library for hosting the Circular on Library site.

2. परिचालन के लिए वेब एडमिन को।
Web Admin for Circulation.

3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
PPS to Secretary, MoRT&H for Kind Information.